राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 155 जून 2012 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

इतिहास अपने आपको दोहरा रहा है। महिलाओं को राजनीति में स्थान देने की सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की प्रतिबद्धता के बावजूद, लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण विधेयक जिसमें संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33.3% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है, के पारित होने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है क्योंकि अनेक दलों ने स्पष्ट शब्दों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण करने का विरोध व्यक्त किया है। इस बारे में कोई मतैक्य दिखाई नहीं देता है और सत्तारूढ़ दल के अनेक घटक सहयोगी 'कोटे में कोटा' रखने की मांग कर रहे हैं।

यद्यपि जनसंख्या में महिलाओं की प्रतिशतता लगभग 50% है, संसद और राज्य विधान सभाओं में उनकी संख्या हमेशा नगण्य रही है इसलिए उनके लिए 33.3% आरक्षण मांगना अतार्किक अथवा अनुचित नहीं है अपितु महिलाओं के लिए एक तर्कसंगत मांग है।

आरक्षण के विषय पर चर्चा करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को साथ लेने का हाल का प्रयास - जैसा कि विगत में अनेक बार हुआ है- निरर्थक गया है। इस बारे में कोई मतैक्य नजर नहीं आता है। अब यह विषय सरकार के पाले में है। लेकिन जब भी मतैक्य हासिल करने के

चर्चा में **महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक**

लिए प्रयास किया जाता है, उसी तरह की आपत्ति उठाने से विधेयक का स्वाभाविक अंत हो जाएगा। क्या सरकार ऐसा होने देगी? भारत की महिलाओं को, जो देश की आधी जनसंख्या के बराबर है, राष्ट्र के निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपना स्थान कब मिलेगा?

जहां तक राष्ट्रीय महिला आयोग का संबंध है, इसने संसद में इस विधेयक को पारित करने के लिए महिला संसद सदस्यों और महिलाओं के ग्रुपों के साथ अनेक बार रणनीतिक बैठकें की हैं। अभी हाल में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा और सदस्यों ने राज्य महिला आयोग के अध्यक्षाओं के साथ मिलकर राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल से मुलाकात की और विधेयक को पारित करने के लिए उनसे सहायता मांगी।

राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए यह केवल महिलाओं का मामला नहीं है अपितु एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इसे राष्ट्र की प्राथमिकता के तौर पर लिया जाना चाहिए। जब यह कानून बन जाएगा, इसके अनोखेपन और दूरगामी महत्व को देखते हुए, तो यह विधेयक न केवल भारत में निर्वाचन राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा अपितु यह सामाजिक परिवर्तन का सूत्रधार होगा जिससे राजनीतिक व्यवस्था में सदियों से चला आ रहा भेदभाव समाप्त हो जाएगा।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा और राज्यों की अध्यक्षाओं ने श्रीमती प्रतिभा पाटिल से मुलाकात की

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा सुश्री ममता शर्मा के नेतृत्व में राष्ट्रीय महिला आयोग के एक शिष्टमंडल ने, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य और राज्य महिला आयोगों की अध्यक्षा शामिल थीं, हाल में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल से मुलाकात की।

अपनी मुलाकात के दौरान उन्होंने महिला संबंधित अनेक मुद्दों पर चर्चा की और एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया जिसमें उनसे संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की।

सुश्री ममता शर्मा राष्ट्रपति को ज्ञापन देते हुए

श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य और राज्य आयोगों की अध्यक्षाओं के साथ

ज्ञापन में कहा गया है कि यह विधेयक न केवल भारत में निर्वाचन राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा अपितु महिला न्याय और बराबरी सुनिश्चित करने के लिए दूरगामी सामाजिक परिवर्तन लाएगा।

अध्यक्षा की प्रेस कांफ्रेंस

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा सुश्री ममता शर्मा ने हाल में आयोग में एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आरंभ किए गए विभिन्न पहल के बारे में मीडिया को बताया गया।

उन्होंने कहा कि राष्ट्र महिला आयोग शीघ्र ही देश में विशेष तौर पर मुसीबत में फंसी महिलाओं के लिए 24 घंटों की हेल्पलाइन सेवा इस वर्ष के अंत तक आरंभ करेगी। आयोग हरियाणा में मार्गदर्शी प्रोजेक्ट के तौर पर हेल्पलाईन सेवा आरंभ करेगा जो गुजरात में इसी तरह के चलाए गए प्रोजेक्ट के महीनों बाद किया जा रहा है। यह राज्य आयोगों के साथ वीडियो कांफ्रेंस स्थापित करने की प्रक्रिया पर काम कर रहा है।

भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के समर्थन में बोलते हुए सुश्री शर्मा ने इंडियन प्रीमियर लीग के लाभ में से एक समय का भुगतान लाभ देने की मांग की जैसा कि उनके पुरुष खिलाड़ियों के मामले में किया गया, "ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? यदि पूर्व पुरुष खिलाड़ी ऐसे भुगतान के पात्र हैं तो महिला खिलाड़ियों को भी यह मिलना चाहिए", उन्होंने यह बात जोर देकर कही।

महिला आरक्षण विधेयक पर बोलते हुए सुश्री शर्मा ने कहा कि उन्होंने राज्य आयोगों की 26 अध्यक्षाओं के साथ मिलकर राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल से मुलाकात की और उनसे संसद और राज्य विधान सभाओं में

अध्यक्षा मीडिया के समक्ष बोलते हुए

महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की।

उन्होंने बताया कि आयोग जसोला में अपने भवन के लिए काम कर रहा है और उन दैनिक मजूरी के कार्मिकों को नियमित करने की प्रक्रिया में काम कर रहा है जो आयोग में तदर्थ आधार पर लंबे समय से काम कर रहे हैं।

महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों पर बोलते हुए सुश्री शर्मा ने कहा कि पांच सदस्यों की एक समिति सभी राज्यों में स्थापित की जाएगी जो कन्या भ्रूण हत्या, शिशु हत्या, दहेज से होने वाली मौतें, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न आदि के मामले देखेंगी और राज्य सरकारों से सम्पर्क रखेगी।

सुश्री शर्मा ने कहा कि आयोग के अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ ने 962 मामलों में से 120 मामले सुलझाए हैं और अन्य को सुलझाने का कार्य चल रहा है।

आयोग कानून प्रवर्तन कार्मिकों के लिए जागरुकता सेमिनार भी आयोजित कर रहा है।

राज्य आयोगों में रिक्त पदों पर खेद व्यक्त करते हुए सुश्री शर्मा ने कहा कि उन्होंने रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकारों को लिखा है। मीडिया से अपील करते हुए सुश्री शर्मा ने उनसे अनुरोध किया कि वह युवा पीढ़ी के विचारों को प्रभावित करने के लिए रचनात्मक और सकारात्मक भूमिका निभाएं।

जागरुकता कार्यक्रम

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा सुश्री ममता शर्मा बल्लभगढ़ में राष्ट्रीय मानव एसोसिएशन द्वारा आयोजित महिलाओं के लिए जागरुकता कार्यक्रम में उपस्थित हुई।

इस अवसर पर भ्रूण हत्या पर बोलते हुए सुश्री शर्मा ने कहा कि यह बर्बर सामाजिक प्रथा शिक्षित और सम्पन्न लोगों में व्याप्त है ऐसा और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में है। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि अभी भी बहुत ही कम महिलाओं को उनके लिए सरकार की योजनाओं अथवा उनके मानवीय अधिकार सुनिश्चित करने के कानूनों के बारे में जानकारी है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा मुख्यतः अज्ञानता और शिक्षा की कमी के कारण है।

उन्होंने कहा कि आयोग महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है और उसने समूचे देश में निःशुल्क हेल्पलाईन आरम्भ करने का निर्णय लिया है जिसकी शुरुआत गुजरात और हरियाणा से की जाएगी।

उन्होंने महिला आधारित मुद्दों जैसे घरेलू हिंसा, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, दहेज से होने वाली मौतें, भ्रूण हत्या आदि और उन कानूनों के बारे में, जो महिलाओं के हित में इन मुद्दों पर प्रख्यापित किए गए है, बोला।

सुश्री ममता शर्मा श्रोताओं को संबोधित करते हुए

सदस्यों का दौरा

● सदस्य बानसुक सयीम को ऑल इंडिया रेडियो, शिलांग द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका और महिलाओं से संबंधित मुद्दों, विशेषकर मेघालय की महिलाओं से संबंधित, पर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

बाद में, सुश्री सयीम ने ऑल इंडिया रेडियो के निदेशक को सुझाव दिया कि महिलाओं के लिए जागरुकता कार्यक्रमों का जिसमें विपदाग्रस्त महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न मुद्दे हों, प्रसारण किया जाए।

● राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या डॉ. चारु वलीखन्ना देहरादून में "राज्य आयोग और महिलाओं के अधिकार बनाम मानव अधिकार" पर आयोजित सेमिनार में मुख्य अतिथि थी। यह कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित किया गया था जिसमें अधिवक्ता, गैर-सरकारी संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, विधि-विद्यार्थी, पी.इब्ल्यू.डी.वी. एक्ट के अंतर्गत सेवा दायक, आई.सी.डी.एस. के निदेशक, बाल कल्याण अधिकारी, सी.डी.पी.ओ., महिला सुमख्या अधिकारी और अन्य उपस्थित थे।

देहरादून सेमिनार में डॉ. चारु वलीखन्ना (बीच में)

इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वियना में हुए मानव अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन ने यह पुष्टि की है कि महिलाओं के अधिकार मानव अधिकार हैं। यह आधी मानव जाति के उचित दावों को स्वीकार करने और महिला और मानव अधिकार उल्लंघन की ओर ध्यान दिलाने की ओर एक अग्रगामी कदम है। उन्होंने कहा कि यद्यपि भारत के संविधान में महिलाओं को बराबर के अधिकार की गारंटी दी गई है, परन्तु वास्तव में उन्हें यहां तक कि आधारभूत मानव अधिकार से वंचित रखा जाता है, और वे महिला आधारित हिंसा की शिकार बनती हैं और उनको न्याय, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंच से वंचित रखा जाता है।

● सदस्य शमीना शफीक जयपुर में अखिल भारतीय मुस्लिक सम्मेलन 'इकरा (आई.क्यू.आर.ए.) 2012' में उपस्थित हुई।

इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम परिवारों को लड़कियों को उन अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जो उन्हें उपलब्ध हैं। उन्होंने आगे कहा कि तात्कालिक आवश्यकता उन्हें शैक्षिक रूप से सशक्त बनाना है।

बाद में, उन्होंने राजस्थान राज्य महिला आयोग के साथ बैठक की और आयोग से अनुरोध किया कि वह समाज के हाशिए पर रह रहे तबकों की सहायता करने के लिए समूचे राजस्थान की महिलाओं तक पहुंचे।

सीतापुर में अपने दौरे के दौरान सुश्री शफीक ने अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के सदस्यों के साथ बैठक की। उन्होंने महिला जेल का भी दौरा किया।

सीतापुर में कशरेला में उन्होंने महिला समाख्या के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जो महिलाओं को अपनी स्थिति में परिवर्तन लाने में उनकी सहायता करते हैं,

सुश्री शमीना शफीक महिला कार्यकर्ताओं के साथ

सुश्री शफीक रहीमबाद में कॉलेज जाने वाली लड़कियों, जिनके माता-पिता अपनी लड़कियों को दूर स्थित कॉलेजों में भेजने के इच्छुक नहीं थे, की समस्या पर हुए सेमिनार में उपस्थित हुई।

महिलाओं के घरेलू काम को भी कार्यस्थल का कार्य माना जाना चाहिए

एक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने बस रैपिड ट्रांजिट (बी.आर.टी.) के एक कर्मचारी, जो एक तेजी से जा रहे ट्रक से कुचली गई थी, के परिवार को मुआवजा देने का ऐलान करते हुए कहा कि एक महिला का अपने घर को दिया गया योगदान उसका कार्यस्थल को दिए गए योगदान के बराबर है क्योंकि एक कामकाजी महिला दोहरी जिम्मेदारी निभाती है।

अनीता देवी, जो कुषि विहार में बी.आर.टी. कॉरिडोर में क्लीनर के पद पर नियुक्त थी, एक तेजी से जा रहे ट्रक द्वारा कुचली गई थी। जबकि उसके परिवार ने अनीता देवी के पूर्णकालिक कर्मचारी होने के आधार पर, जो लगभग 5,000 रुपये प्रति महीने कमाती थी, पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की। बीमा कंपनी ने यह राशि बहुत कम देने की पेशकश की। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तीन महीने के रोजगार रिकॉर्ड में यह दिखाया गया है कि जबकि अनीता देवी रोजगार में लगी थी, उसने महीने में सभी दिन काम नहीं किया। अक्सर केवल 10-15 दिन ही काम किया।

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के जज ने यह निर्णय दिया कि उसके वेतन को एक पूर्णकालिक कर्मी के वेतन के बराबर आंका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उसकी अनुपस्थिति की अवधि को "अपने घर के कामकाज में बिताया गया समय" माना जाना चाहिए। यह एक आम ज्ञात तथ्य है कि "कामकाजी महिला दोहरी जिम्मेदारी निभाती है जो घर संभालना और बाहर का कार्य करना है जिसका उद्देश्य परिवार को अतिरिक्त आय प्रदान करना है।"

● अब, मुस्लिम महिलाएं अपना विवाह निष्प्रभाव कर सकती हैं, फतवा ऐसा कहता है

दारुल उलूम ने, जो देवबंद आधारित इस्लामिक सेमिनरी है तथा जिसके सदस्य कट्टरपंथी हैं, अन्ततः मुस्लिम महिलाओं को अपना विवाह निष्प्रभावी करने की शक्ति प्रदान की है, हालांकि एक शर्त के साथ।

सेमिनरी से जारी हाल के फतवे में कहा गया है कि शरीयत (इस्लामिक कानून) के अनुसार एक महिला, जो अन्यथा अपने विवाह को निष्प्रभावी घोषित नहीं कर सकती है, अपने पति द्वारा उसे तलाक देने का अधिकार मिल सकता है। आशय यह है कि महिला अपने आपको तलाक दे रही है और न कि अपने पति को।

जब पति *तलाक* का पूर्ण अधिकार प्रदान करता है तब पत्नी जब वह चाहे इस अधिकार का उपयोग कर सकती है ..... वह एक, दो अथवा तीन बार *तलाक* कहने से स्वयं *तलाक* दे सकती है और *तलाक* प्रभावी हो जाएगा।

तथापि फतवा यह स्पष्ट करता है कि विवाह निष्प्रभावी नहीं होगा यदि पत्नी अपने पति को तलाक देती है।

● दहेज से होने वाली मौतों के लिए आजीवन कारावास से कम की सजा नहीं : उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि उस व्यक्ति को आजीवन कारावास से कम की सजा नहीं दी जानी चाहिए जिसे दहेज की मांग पूरी करने के लिए अपनी पत्नी को बेरहमी से मारने का दोषी ठहराया गया है और जो तब यह तर्क देता है कि यह मृत्यु आकस्मिक हुई है।

यदि 'बेरहमी' के साथ कत्ल करना पाया जाता है और आरोपी ने यह सिद्ध करने के लिए झूठ बोला है कि मृत्यु एक दुर्घटना थी तो न्यायालय आमतौर पर 'आजीवन कारावास से कम सजा' देने में अपने स्वविवेक का प्रयोग नहीं करेगा।

● उच्च न्यायालय के निर्णय से पूर्व पत्नी को लाभ

मुम्बई उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि एक बार जब महिला व्यभिचार में अन्य व्यक्ति के साथ रहना छोड़ देती है और यह सिद्ध करती है कि वह निराश्रित है, तो वह अपने पूर्व पति से भरण-पोषण का खर्चा लेने की पात्र है।

परन्तु यदि वह भरण-पोषण खर्चा देने का आदेश प्राप्त करने के बाद व्यभिचार में अन्य व्यक्ति के साथ रहना आरम्भ कर देती है तो पति को सबसे पहले उस आदेश को रद्द कराना होता है।

● सरकार 'स्टिंग ऑपरेशन' कराएगी

मनमाने ढंग से हो रहे लिंग निर्धारण परीक्षण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली स्वास्थ्य विभाग टेलीविजन चैनलों की सहायता से स्टिंग ऑपरेशन कराकर अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों पर सख्ती कर रहा है।

सरकार ने उन सूचना प्रदाताओं को ईनाम देने के लिए अलग से धन भी रखा है जो अवैध तरीके से लिंग परीक्षण करने वाले चिकित्सकों के बारे में सुराग देंगे।

स्वास्थ्य विभाग ने दक्षिणी दिल्ली में उन चार अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों को सील कर दिया है जहां मां-बाप को भ्रूण का लिंग बताते हुए रेडियोलॉजिस्ट कैमरे पर पकड़े गए थे।

● मुस्लिम लड़की रजस्वला की उम्र आने पर विवाह कर सकती है : उच्च न्यायालय

यह निर्णय देते हुए कि कोई मुस्लिम लड़की 15 वर्ष की आयु होने पर, यदि वह रजस्वला हो गई है, अपनी पसंद की शादी कर सकती है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की के विवाह को वैध ठहराया है और उसे अपने पति के घर रहने की अनुमति दी है।

तथापि उसके पास विकल्प है कि वह बालिग की उम्र होने पर अर्थात् 18 वर्ष की होने पर अपने विवाह को निष्प्रभावी मान सकती है।

एक 16 वर्ष की लड़की का यह अनुरोध, कि उसे अपने पति के घर रहने की अनुमति दी जाए, स्वीकार करते हुए पीठ ने लड़की की मां द्वारा दायर उस याचिका का निपटान कर दिया जिसमें उसने यह आरोप लगाया था कि एक युवक द्वारा उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया और उसने पिछले वर्ष अप्रैल में उससे जबरदस्ती विवाह कर लिया था।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।